



607/11

दूरभाष - 2286709
2286710

नया धरना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4793 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में,

दिनांक : 31 मार्च 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-मऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	433802011001024	H SC Code UBIN0558605	172.211

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन बजट	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किरत की धनराशि का प्रेषण
1	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मो० वार्ड न० 27 डोगनपूरा जफरनगर में ईदगाह से हाफीज का मकान होते हुए ईदगाह के दक्षिणी छोर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.772
2	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मो० वार्ड न० 27 डोगनपूरा जफरनगर में एंगुलहक के घर से मुस्ताकीम का घर होते हुए जावेद के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	5.165
3	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मो० वार्ड न० 27 डोगनपूरा जफरनगर में ट्रांसफार्मर से परवेज का घर होते हुए उमर से अल्फहत तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.654
4	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मो० वार्ड न० 27 डोगनपूरा जफरनगर में लतीफ के घर से सलीम व ईकवाल का घर होते हुए गृहरत तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.069
5	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मो० वार्ड न० 27 डोगनपूरा जफरनगर में अनवार के घर से अरशद व अनवारूल का घर होते हुए गफफार के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.225
6	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मो० वार्ड न० 27 डोगनपूरा जफरनगर में तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.930
7	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मो० वार्ड न० 27 डोगनपूरा जफरनगर में मरिजाद से समद के अहाते तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.658
8	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मो० वार्ड न० 27 डोगनपूरा जफरनगर में बन्धे से पुलिस चौकी होते हुए आलिया हाई स्कूल तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.800
9	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 14, गुशीपूरा में बदरुद्दीन के घर से मलालू तथा रिजवान से मरिजाद, दरीम से यूसुफ एवं सुफिया का घर होते हुये पुलिस एवं विरिमल्लाह खान झाईवर के घर तक इण्टरलाकिंग राडक एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	16.836



607/2

दूरभाष 2286709
2286710

नए योजना केन्द्र 10 अशोक मार्ग लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
10	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 14, मुशीपूरा में इफितारखार के मकान से तालीमुलकुरान मदरसा एवं अनवार, शौकत, इरफान खान का घर होते हुये हफीजुरहमान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	15 043
11	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 14, मुशीपूरा में मकसूद तेली के मकान से इशाद, हकीम, अरशद, समीर का घर होते हुये सफदर से मुस्तफा मरिजद तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	12.536
12	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 14, मुशीपूरा में नसीम के घर से आशिफ, अयाज मुनौवर के घर तक एवं मुख्तार व नेयाज अहमद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.315
13	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 14, मुशीपूरा में फैज के घर से जहांगीर, अब्दुलहसन यूसुफ, गौरा मुहम्मद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	13 208
					172 211

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जाये उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना ही तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोजिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोजिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूबा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।



- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रक़ात पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किस्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक